मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
- - -
ज्ञापन

क्रमांक 489 /475/1(3)/71 भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 1971

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों व्दारा शासकीय आवास गृहों को स्थानान्तर के बाद खाली न करना ।

=*=

ऐसा देखने में आया है कि कई शासकीय सेवक, जो शासकीय आवास गृहों में रहते है, अपने स्थानान्तर की सूचना संबंधित अधिकारी को नहीं देते है और दूसरे स्थान पर चार्ज ग्रहण कर लेने पर भी पहले स्थान का शासकीय मकान अपने आधिपत्य में रखते है । कुछ मामलों में तो ऐसा भी पाया गया है कि स्थानान्तर के बाद, शासकीय आवास गृह रखने की प्रार्थना अस्वीकृत हो जाने पर भी, वे शासकीय आवास गृहों को खाली नही करते । इस प्रकार का आचरण शासकीय सेवकों के लिए शोभनीय नही है । अतः, सभी शासकीय सेवकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के मामलों में न केवल उनसे मूलभूत नियम 45-ब के अन्तर्गत किराया वसूल किया जायेगा और उनसे आवास गृह खाली करवाने के लिए न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी बल्कि इस प्रकार के कार्य को शासकीय सेवकों के आचरण नियमों के तहत दुराचरण माना जायेगा और उनके विरुध्द अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

2/ आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को शासन के उपर्युक्त अनुदेश से अवगत करा दें तथा दोषी व्यक्तियों के विरुध्द उपर्युक्त प्रकार की कार्रवाई अनिवार्य रूप से करें ।

(हनुमन्त राव)
विशेष सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

=2=

क्रमांक 490 /475/1(3)/71 भोपाल दिनांक 8 सितम्बर, 1971

प्रतिलिपि :-

1- निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
सचिव, विधान सभा, मध्यप्रदेश, भोपाल
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर

2- राज्यपाल के सचिव,
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

3- स्थापना अधिकारी / लेखा अधिकारी / रजिस्ट्रार,
मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल

4- मुख्य मंत्री / समस्त मंत्रियों / राज्य मंत्रियों / उप मंत्रियों एवं संसद सचिवों के निजी सचिव, निजी सहायक

को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(के० एल० मुकर्जी)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

::श्रीवा स::
6/9/7 ।